रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 425] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 1970/अग्रहायण 4, 1892

No. 425] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 1970/AGRAHAYANA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDERS

Import Trade Control

New Delhi, the 25th November 1970

S.O. 3802.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order, further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:

1. This Order may be called the Imports (Control) fourth Amendment Order, 1970.

2. In the Imports (Control) Order, 1955, the existing clause 11(1)(e) shall be substituted by the following, namely:—

"(e) which are in transit through India by post or otherwise, or are redirected by post or otherwise to a destination outside India, except Nepal, Tibet and Bhutan provided that such goods while in India are always in the custody of the postal/customs authorities."

[No. 7/70.]

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

आयात-व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1970

एस०ओ० 3802.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1970 की संज्ञा दी जाय।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में वर्तमान धारा 11(1) (ई) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(ई) जो डाक द्वारा या अन्यथारूप से भारत के माध्यम से पारगमन के लिए है अथवा डाक द्वारा या अन्यथारूप से नेपाल, तिब्बत तथा भूटान को छोड़कर भारत से बाहर गन्तव्य देश के लिए है, अनुप्रेषित किए जाते हैं, बशर्ते कि इस प्रकार के माल जब भारत में हैं, तो वे सदा डाक/सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अभिरक्षा में रहे हैं।"

[संख्या 7/70]

S.O. 3803.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) fifth Amendment Order, 1970.

2. In the Imports (Control)Order, 1955, in clause 11(2), the existing sub-clause (f) shall be substituted by the following, namely:—

"(f) High purity chemicals, by Research and analytical laboratories, for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed five hundred rupees."

[No. 8/70.]

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports and Exports.

एस० ओ० 3803—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) पंचम संशोधन आदेश, 1970 की संज्ञा दी जाय।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 11(2) में वर्तमान उपधारा (एफ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(एफ) अनुसंधान तथा विश्लेषण प्रयोगशालाओं द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए उच्च शुद्धता वाले रसायन, बशर्ते कि किसी भी एक समय में इस प्रकार के आयातित माल का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।"

[संख्या 8/70]

आर० जे० रबैलो,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970